



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1947 (श 0)

(सं 0 पटना 1787) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2025

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

17 दिसम्बर 2025

एस0ओ0 478, दिनांक 17 दिसम्बर 2025—वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या—एस0ओ0 151 दिनांक 17 सितम्बर 2025, जिसे बिहार गजट (असाधारण अंक) संख्या—1514 दिनांक 17 सितम्बर 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के हिन्दी पाठ में—

(क) अनुसूची की तालिका में क्रम संख्या—121 के सम्मुख माल का विवरण संबंधी प्रविष्टि में “रबर” के स्थान पर “इरेजर” पढ़ें

(ख) अनुसूची की तालिका में क्रम संख्या—167 के सम्मुख माल का विवरण संबंधी प्रविष्टि में “पूजा सामग्री अर्थात्—, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण (, पवित्र धागा) (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है, लकड़ी की खड़ाऊँ, पंचामृत, विभूति, बिना ब्रांड वाला शहद, दीये की बाती, रोली, कलावा (रक्षा सूत्र), चंदन टीका” के स्थान पर

“ पूजा सामग्री अर्थात्—

- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कंठी माला, पंचगव्य (गाय का गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण);
- (ii) पवित्र धागा (जिसे आमतौर पर यज्ञोपवीत कहा जाता है);
- (iii) लकड़ी की खड़ाऊँ;
- (iv) पंचामृत;
- (v) विभूति;
- (vi) बिना ब्रांड वाला शहद;
- (vii) दीये की बाती;

- (viii) रोली;
- (ix) कलावा (रक्षा सूत्र);
- (x) चंदन टीका" पढ़ें।

(2) यह शुद्धि-पत्र दिनांक 17.09.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-18)4807)]

आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1787-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>